(7)

232

II/निग0/अनूपपुर/2018/01677

न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मंड़ल ग्वालियर सर्किल कोर्ट
रीवा संभाग– रीवा (म0प्र0)

बसन्त कुमार पनिका आयु 51 वर्ष पिता स्व0 प्रभुलाल पनिका निवासी ग्राम अमलाई, तहसील व जिला– अनूपपुर (म0प्र0) ....आवेदक

बनाम

1. प्रभात लाल पनिका
2. सम्पत लाल पनिका

दोनो पिता रामलाल पनिका निवासी ग्राम– मोहारपारा, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया छ0ग0 ....अनावेदकगण

<u>निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 20.02.2018 में पारित आदेश श्रीमान् कलेक्टर महोदय जरिये अनूपपुर रा0प्र0 क्र0– 8/ अपील/2015– 16 के अंतर्गत धारा– 50 म0प्र0भू0रा0सं0– 1959</u>

अधि0 श्री [illegible] द्वारा पेश। 12-3-18

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

आवेदक निम्न तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत करता है:–

<u>निगरानी के तथ्य निम्न है–</u>

1. यह कि अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के न्यायालय में आवेदक द्वारा इस

(7)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक II/निग0/2018/1677 जिला–अनूपपुर

बसंतकुमार पनिका / प्रभातलाल पनिका

(1)	(2)	(3)
5-8-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अखण्ड प्रताप सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 08/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	